(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/284

1. पप्पूलाल आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)।
2. रामकल्याण आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
3. सौरभ आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

द्वारका आत्मज कालू जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री गोबरीलाल मेघवाल, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से ।
2. श्री धनराज मीणा, श्री राजकुमार मीणा, अभिभाषक रेस्पो. 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 23.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 35/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि खतौनी संख्या नई 199 पुरानी 195 की भूमि खसरा संख्या 530 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 948 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 954 रकबा 13 बीघा 1 विश्वा, खसरा संख्या 1218 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मेहराना पटवार क्षेत्र सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व उसके भाई बदी के सयुंक्त खाते की है। वादी द्वारा उपरोक्त शामलाती कृषि भूमि के विभाजन के सबंध में एक वाद उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, बूंदी के न्यायालय मे पेश किया था। जिसमें दिनांक 05.05.2011 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादी द्वारकालाल द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमा कर निर्णय व डिक्री पारित की थी वादी के पास खसरा संख्या 948 में से दक्षिण की तरफ 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1218

(6)

अपील संख्या 2024/284

पप्पूलाल बनाम द्वारका

रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 530 में से दक्षिणी तरफ 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 954 में से दक्षिणी तरफ 4 बीघा 2 बिस्वा कुल 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मेहराना की रहेगी। बद्रीलाल आत्मज श्री कालूलाल के पास खसरा संख्या 948 में से उत्तरी की तरफ 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 539 में से रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 530 में से उत्तरी तरफ 9 बिस्वा एवं खसरा संख्या 954 में से उत्तरी तरफ 8 बीघा 19 बिश्वा कुल 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मेहराना की रहेगी। बद्रीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। नामान्तरण संख्या 1699 से दिनांक 13.03.2014 को मृतक बद्री के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं संजू बाई पुत्री बद्री, व मन्नी बाई पत्नि बद्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। संजू बाई व मन्नीबाई ने अपने खाते व हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 3 के नाम रिलीज कर दी है इसलिए वर्तमान में उक्त कृत्रि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 काबिज होकर खेती कर रहे है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.05.2011 के उपरांत भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी को उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि जबरन बेदखल कर उनके कब्जे कारत में हस्तक्षेप कर रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा वादी के हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्वा पर जबरन कब्जा कर रखा है और वह न्यायालय के निर्णय व डिकी के उपरांत भी वादी को उसके हिस्से में आई कृषि भूमि पर कब्जा नहीं दे रहे है। वादी अपने हिस्से व खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जचरन कब्जा की गई 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि से उन्हे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 26-06-2016 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से उसके हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मेहराना की भूमि में से उनके द्वारा कब्जा की गई 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा सुपुर्द करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया और उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए वादी अपने कब्जा की गई भूमि पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने एवं उसकी शेष भूमि पर कब्जा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ताकतवर लोग है जिनके द्वारा वादी के खाते व हिस्से की कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्ता पर जबरन कब्जा किया हुआ है और वादी के कई चार निवेदन करने के उपरांत भी प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा मे से 2 बीघा 2 बिस्वा पर वादी को कब्जा सुपुर्द नहीं कर रहे है इसलिऐ वादी के पास यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है।वादी भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का रिकॉडेड़ खातेदार हे जिसमें से प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा की गई 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर वादी को कब्जा नहीं दिलाया गया है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति अर्थ से सभव नहीं हो सकेगी और अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। वाद कारण दिनांक 26.06.2016 से लगातार उत्पन्न हो रहा हैं इसलिऐ वाद अंदर अवधि श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादी के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से उनके द्वारा कब्जा की गई 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि से उन्हे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे। कब्जा प्राप्त होने तक वादी प्रतिवादीगण से हर्जाना 50 हजार रूपये वार्षिक प्राप्त करे एवं वादी की शेष भूमि पर कब्जा न करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद करवावे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक

(7)

अपील संख्या 2024/284

पप्पूलाल बनाम द्वारका

वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की बेदखली एवं निषेधाज्ञा की डिक्री बय मय खर्चा सादिर फरमाई जावे :–1. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी के खाते व हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप कर वादी के शांति पूर्वक कब्जे कारत में कोई व्यवधान पैदा न करे। वादी को उसके खाते व हिस्से की कृषि भूमि पर फसल बोने जोने व काटने से नही रोके। ऐसा प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्यो से करावे । 2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादी के खाते कब्जे व हिस्से की कृषि भूमि खसरा संख्या 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से उनके द्वारा कब्जा की गई 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर रिक्त भूमि पर पुनः कब्जा वादी को दिलवाया जावे। उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त होने तक वादी को प्रतिवादीग संख्या 1 लगायत 3 से 50 हजार रूपये प्रति वर्ष की दर से हर्जाना राशि दिलवाई जावे। दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी की शेष भूमि पर कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलवाया जावे। 3. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2024 की जानकारी दिनांक 27.10.2024 को हुई। प्रार्थीगण ने दिनांक 27.10.2024 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया। नकल निर्णय दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त हुई। न्यायहित में अपील पेश करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी व नकल प्राप्ति से अपील मध्य अवधि पेश है। वाद अपील को मियाद माना जावे अपील पेश करने में हुई देरी मुजरा की जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अदंर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतिग्रस्त निर्णय व डिक्री वस्तुस्थिति एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दियें बिना एक तरफा निर्णय जारी किया गया है, जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर न देकर निर्णय जारी करने में कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के अभिभाषक बहस हेतु उपस्थित हुए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नही होना बताकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। खतौनी संख्या नई 199 पुरानी 195 की भूमि खसरा संख्या 530 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 948 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 954 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 1218 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मेहराना पटवार क्षेत्र सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट व अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल के संयुक्त खाते की भूमि है। जिसका अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल व रेस्पोडेन्ट द्वारका के मध्य पारिवारिक बंटवारा के समय जो बंटवारा हुआ था, उस समय अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल के हिस्से में खसरा संख्या 530 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 948 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 954 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल व उसके बाद अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 काबिज होकर आज तक बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही करके अपना विवादित निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 1699 से दिनांक 13.03.2004 को मृतक बद्रीलाल के स्थान पर अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 एवं संजूबाई पुत्री बद्री व मन्नीबाई पत्नि बद्रीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। संजूबाई व मन्नी बाई ने अपने खाते व हिस्से की कृषि भूमि अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 के नाम रिलीज कर दी है इसलिये वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर अपीलांटगण ही काबिज काश्त है। उक्त तथ्य पत्रावली पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित निर्णय पारित करनें में महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2024 निरस्त किए जाने तथा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवदेन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा की खसरा संख्या 530, 539, 948, 954, 1218 कुल किता 5 कुल रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल की

संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 05.05.2011 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2011 के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर रेस्पोडेन्ट को खसरा संख्या 948 में से दक्षिण दिशा की 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1218 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 530 में से दक्षिण की तरफ की 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 954 में से दक्षिण की तरफ की 4 बीघा 2 बिस्वा कुल 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष भूमि अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल के खाते दर्ज की गई। निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2021 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया। तत्पश्चात बद्रीलाल का स्वर्गवास हो गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1699 दिनांक 13.03.2014 के द्वारा बद्रीलाल के स्थान पर अपीलांटगण एवं उनकी बहिन संजु बाई पुत्री बद्रीलाल तथा माता मन्नी बाई पत्नि बद्रीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। संजू बाई तथा मंजूबाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अपीलांटगण के पक्ष में रिलीज किया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलांटगण ही काबिज काश्त है। निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2011 के द्वारा प्राप्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में अपीलांटगण जबरन बेदखल करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर रहे है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आई खसरा नम्बर 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है अतः रेस्पोडेन्ट स्वयं के खाते की अपीलांटगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से अपीलांटगण को बेदखल कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो चुका है। तथा रेस्पोडेन्ट को निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2011 के आधार पर विभाजन में प्राप्त तथा रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज प्रश्नगत खसरा नम्बर 954/1 की भूमि पर अपीलांटगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अपीलांटगण द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2021 के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांटगण निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2021 को निरस्त करवाये बिना रेस्पोडेन्ट को वाद्रगस्त भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए है तथा अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तथा तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांटगण ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य

है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वार मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का अपीलांटगण के पिता बद्रीलाल एवं रेस्पोडेन्ट द्वारकालाल के मध्य पारिवारिक विभाजन के अनुसार बंटवारा हो चुका तथा तथा उसी अनुसार अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांटगण का यह भी कथन रहा है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2011 में अपीलांटगण के पिता का खसरा नम्बर 954 के केवल 2 बीघा 2 बिस्वा भू–भाग पर कब्जा मानते हुए डिक्री किया गया है परन्तु अपीलांटगण खसरा नम्बर 954 के सम्पूर्ण भू–भाग पर काबिज है। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा नम्बर 954 की भूमि के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त को लेकर है। रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वाद संख्या 09/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2011 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की गई है जिसके अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 954 में दक्षिण की 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारकालाल एवं खसरा नम्बर 954 में से उत्तर की 8 बीघा 19 बिस्वा बद्रीलाल को विभाजन में प्राप्त होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन में प्राप्त स्वयं की खसरा नम्बर 954 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 2 बिस्वा भू–भाग से अपीलांटगण को बेदखल किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में खसरा नम्बर 954/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा होने का कथन अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है। दिनांक 18.01.2024 की आदेशिका में वादी की ओर से वादी एवं गवाह छोटूलाल

(11)

के साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किए जाने का अंकन है। अतः हमारे मत में दिनांक 18.01.2024 को पत्रावली में वादी एवं गवाह छोटूलाल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी थी तथा पत्रावली प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह में विचाराधीन थी। अतः हमारे मत में सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के अधिवक्ता को जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा पक्षकारान से सम्पर्क नहीं होना एवं पक्षकारान द्वारा पैरवी नहीं किया जाना बताकर साक्ष्य जिरह बंद किए जाने का आदेश अपनी आदेशिका दिनांक 23.07.2024 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। सी. पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार साक्ष्य वादी बन्द होने के पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07. 2024 को पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत नहीं कर सीधे ही बहस अन्तिम हेतु नियत की गई है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांटगण की साक्ष्य लिए बिना ही पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 35/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य एवं जिरह का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तीन माह में नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/25

(सुरवीर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा